संख्या-69/2026/I/1368236/2026/001-71-2099-284-2021

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,

लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक- 19-06-2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत संस्थान के एपेक्स ट्रामा सेन्टर हेतु 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष सेन्टर में उपकरणें के क्रय की सूची अनुमोदित करते हुए वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

------------------------

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/एम0एम0/बजट(ए0टी0सी0)/2026-27/581, दिनांक 30.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के अपेक्स ट्रामा सेन्टर हेतु 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 करोड़ की सूची अनुमोदित करते हुये प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अत: इस संबंध में वित्तीय वर्ष 2026-27 में क्रय किये जाने हेतु उपकरणों की संलग्न सूची को अनुमोदित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एस0जी0पी0जी0आई0 के एपेक्स ट्रॉमा सेण्टर के लिए उपकरणों का क्रय किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में लेखाशीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-16-संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में ट्रामा सेण्टर-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र मद में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 करोड़ (रूपये एक अरब मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय एतदद्वारा निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

**<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>**

1. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जायें। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के संबंधित फर्म की शुचिता व उसका आडिट कराने आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था एवं निदेशक, संस्थान की होगी।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. संबंधित उपकरण/संयंत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेंट ई-मार्केट प्लेस जेम पोर्टल से संबंधित समय-समय पर निर्गत सुसंगत अद्यतन शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता का द्योतक होगा।
3. उपकरणों का क्रय वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष ही किया जायेगा।
4. उपकरणों के प्रोप्राइटरी होने का निर्धारण किये जाने का दायित्व, क्रय किये जाने वाले उपकरणों के स्पेसिफिकेशन व क्रय प्रक्रिया सुनिश्चित करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, संस्थान का होगा।
5. उपकरणों की गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक के अनुसार आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशक, संस्थान को होगा।
6. उक्त उपकरणों के क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जब उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि डाकघर अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
9. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28/03/2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व/वित्त नियंत्रक/निदेशक, संस्थान का होगा।
10. पारदर्शी प्रकिया से गुणवत्तायुक्त सामग्री का क्रय तथा तदनंतर आडिट का उत्तदायित्व निदेशक, संस्थान का होगा।
11. वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही उपकरणों के क्रय की कार्यवाही संस्थान के स्तर से नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
12. सूची में उल्लिखित उपकरणों का क्रय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में ही सुनिश्चित किया जायेगा। आगामी वित्तीय वर्ष में क्रय किये जाने की दशा में पुनः सूची पर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
13. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरण/फर्नीचर की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध हैं तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।
14. निदेशक, संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिकांश उपकरणों की उपलब्धता जेम पोर्टल पर हो और उपकरणों के प्रस्तावित मूल्य बाजार दर से संगत एवं औचित्यपूर्ण हैं।
15. धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,00,00,000 (रुपये एक अरब मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031051600 संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में ट्रामा सेन्टर मानक मद 26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)

विशेष सचिव।

<u>संख्या-69/2026/I/1368236/2026/001-71-2099-284-2021,तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6. वित्त अधिकारी, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
7. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)

अनु सचिव।

http://-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-69/2026/I/1368236/2026/001-71-2099-284-2021, दिनांक-19-06-2026 का संलग्नक।

| List of Medical Equipment and supportive Items for Apex Trauma Centre for Financial Year 2026-27 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sr. No.** | **Name of the Department** | **Sl. No.** | **Name of Item / Equipment with justification** | **Qty.** | **Unit Cost Rs. In Lakhs** | **Total Cost (Rs. In lakhs)** | **Total Cost (Rs. In lakhs)** |
| 1 | **Anesthesia (For establishment of 20 bedded ICU at ATC)** | **1** | ICU Ventilator | 18 | 35.00 | 630.00 | |
| | | **2** | ICU Beds (2A) | 20 | 7.00 | 140.00 | |
| | | **3** | ICU Beds 1A | 4 | 7.00 | 28.00 | |
| | | **4** | Transport Ventilator | 1 | 10.00 | 10.00 | |
| | | **5** | Multipara Monitor with CNS | 16 | 12.00 | 192.00 | |
| | | **6** | Transport Monitor | 1 | 8.00 | 8.00 | |
| | | **7** | Syringe pumps | 80 | 1.00 | 80.00 | |
| | | **8** | Volumetric pumps | 20 | 1.00 | 20.00 | |
| | | **9** | Feeding Pumps | 20 | 1.00 | 20.00 | |
| | | **10** | DVT Pump | 10 | 2.50 | 25.00 | |
| | | **11** | HFCWO Device | 1 | 11.00 | 11.00 | |
| | | **12** | Patient Warmer | 5 | 2.00 | 10.00 | |
| | | **13** | Bed side suction unit | 2 | 0.50 | 1.00 | |
| | | **14** | Defibrilator | 2 | 6.00 | 12.00 | |
| | | **15** | TCI Pump | 5 | 4.00 | 20.00 | |
| | | **16** | 12 Lead ECG machine | 2 | 2.00 | 4.00 | |
| | | **17** | HFNC Machine | 5 | 6.00 | 30.00 | |
| | | **18** | USG Machine | 1 | 40.00 | 40.00 | |
| | | **19** | Hot line | 5 | 3.00 | 15.00 | |
| | | **20** | Fluid warmer cabinet | 1 | 4.00 | 4.00 | |
| | | **21** | Misc. Items including emergent equipments and adjustment of shortfall in equipments for establishment of 20 bedded ICU at Apex Trauma Centre | | | 200.00 | **1500.00** |
| 2 | **Neurosurgery** | **22** | Neurosurgical instruments (01 Set) | 1 | 100.00 | 100.00 | |
| | | **23** | 3D C-Arm System | 1 | 550.00 | 550.00 | |
| | | **24** | Drill system for emergency OT | 1 | 50.00 | 50.00 | **700.00** |
| 3 | **Orthopedic** | **25** | Orthopedic OT Table | 1 | 250.00 | 250.00 | |
| | | **26** | Small bones set | 1 | 30.00 | 30.00 | **280.00** |
| 4 | **Common Pool** | **27** | Plasma Sterilizer | 1 | 100.00 | 100.00 | |
| | | **28** | Pulsatile Kidney Transporter (Renal Transplant) | 1 | 25.00 | 25.00 | |
| | | **29** | Mobile CT Scanner | 1 | 1,200.00 | 1200.00 | |
| | | **30** | Digital Mobile X-ray Unit | 1 | 120.00 | 120.00 | **1445.00** |

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **CSSD** | **31** | EO Gas Sterilizer (Capacity 250 to 300 Ltr.) | 1 | 60.00 | 60.00 | **60.00** |
| **6** | **Radiology** | | **DIAGNOSTIC INFRASTRUCTURE** | | | | |
| | | **32** | Dynamic digital radiography system: AI enabled | 1 | 550.00 | 550.00 | |
| | | **33** | Mobile digital radiography (for ward, bedside, ICU Post, OP) | 1 | 100.00 | 100.00 | |
| | | **34** | High end AI enabled USG with 4D probes, color doppler, shear wave elastography, fusion & navigation, Biopsy Guides | 1 | 150.00 | 150.00 | |
| | | | **INTERVENTIONAL SERVICES** | | | 0.00 | |
| | | **35** | Intra Vascular Ultrasound system | 1 | 150.00 | 150.00 | |
| | | **36** | Rotational artherectomy (Boston Scientific/ Bard) | 1 | 100.00 | 100.00 | |
| | | **37** | Orbital artherectomy for calcified lesions (Abott) | 1 | 50.00 | 50.00 | |
| | | **38** | Directional Artherectomy device (medtronic) | 1 | 50.00 | 50.00 | |
| | | **39** | Mechanical thrombectomy devices | 1 | 100.00 | 100.00 | |
| | | **40** | Pharmaco- mechanical thrombectomy system (Angiojet, Boston scientific) | 1 | 200.00 | 200.00 | |
| | | **41** | Intravascular Lithotripsy System | 1 | 100.00 | 100.00 | |
| | | **42** | Irreversible Electroporation system | 1 | 375.00 | 375.00 | |
| | | **43** | Mid End AI enabled USG with color Doppler & shear wave elastography | 3 | 100.00 | 300.00 | |
| | | **44** | Angio CT | 1 | 2,500.00 | 2500.00 | **4,725.00** |
| **7** | **Trauma Surgery** | **45** | Energy Vision System (EV System) | 1 | 300.00 | 300.00 | |
| | | **46** | Open Laprotomy Set | 1 | 80.00 | 80.00 | **380.00** |
| **8** | **O.M.F.S.** | **47** | 4 MHz Radiofrequency Electrosurgical Unit | 1 | 20.00 | 20.00 | |
| | | **48** | Right Angle Screwdriver | 1 | 12.00 | 12.00 | |
| | | **49** | Intraoral 3 D Scanner | 1 | 30.00 | 30.00 | |
| | | **50** | Rhinoplasty instrument Set | 1 | 20.00 | 20.00 | |
| | | **51** | Digital Occlusal Analysis System | 1 | 20.00 | 20.00 | |
| | | **52** | Blepharoplasty instrument set | 1 | 10.00 | 10.00 | |
| | | **53** | Minor oral surgical instrument Set | 1 | 15.00 | 15.00 | |
| | | **54** | Surgeons Chair manual | 2 | 7.00 | 14.00 | **144.00** |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **55** | Dressing Set | 10 | 0.30 | 3.00 | |
| **9** | **Lab Medicine** | **56** | Elisa Machine | 1 | 10.00 | 10.00 | |
| | | **57** | Elisa Reader | 1 | 7.00 | 7.00 | **17.00** |
| **10** | **Microbiology** | **58** | Augmentation of Anaerobic Laboratory Setup | 1 | 125.00 | 125.00 | |
| | | | 2a- Anaerobic workstation | 1 | 65.00 | 65.00 | |
| | | | 2b- HPLC System | 1 | 60.00 | 60.00 | |
| | | **59** | 8 Capillary sequencer | 1 | 150.00 | 150.00 | |
| | | **60** | CLIA based system | 1 | 100.00 | 100.00 | |
| | | **61** | RTPCR machine | 1 | 35.00 | 35.00 | **535.00** |
| **11** | **Physical and Medical Rehabilitation** | **62** | Advanced Electrodiagnostic System (EMG–NCV with optional Evoked Potentials) | 1 | 40.00 | 40.00 | **40.00** |
| **12** | **Other Capital Items** | **63** | Activation of Seminar Hall including Audio Visual Equipment | | -- | 100.00 | **100.00** |
| | | **64** | Misc. items such as office / Hospital / lab furniture / computer, printer, it equipments , refrigerators, Acs, UPS, UPS for Seminar, Office Automation equipment, projectors and any other emergency equipments etc. and adjustment of shortfall amount in equipments. | | -- | 74.00 | **74.00** |
| | | | | | **Total amount in Rs.** | **10000.00** | **10000.00** |

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।